

# न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:- 30/2024

निर्णय दिनांक:-06.10.2025

पीठासीन अधिकारी:- जयन्त कुमार (आर0ए0एस0)

वीरेन्द्र सिंह पुत्र सुरजकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मैन्दवास तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. चरण सिंह पुत्र सुरजकरण
2. मंगू देवी पत्नी स्व0 सुरजकरण
3. सुधा पुत्री सुरजकरण
4. हीरा पुत्र भूरा

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मैन्दवास तहसील फागी जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:- श्री भोजराज सिंह राजावत वकील वादी

श्री बद्रीनारायण शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3

श्री विनय कुमार जैन वकील प्रतिवादी सं0 4


वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-06.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मैन्दवास तहसील फागी के सम्बन्ध में दिनांक 30.01.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो - दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार फागी ने अपने पत्र क्रमांक एल0आर0/24/1208 दिनांक 08.04.2025 द्वारा नक्शा - कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया।

वकील वादी द्वारा उक्त नक्शा कुरेजात पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को पुनः नक्शा कुरेजात भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी ने अपने पत्र क्रमांक एल0आर0/25/3737 दिनांक 01.09.2025 द्वारा पुनः नक्शा - कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादी द्वारा नक्शा कुरेजात पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे वकील वादी द्वारा नोट प्रेस अंकित कर खारिज करवा लिया गया तथा मुताबिक



नक्शा कुरेजात रिपोर्ट वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

बहस नक्शा कुरेजात उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में वादी का वाद मुताबिक नक्शा कुरेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।


अतः तहसीलदार फागी द्वारा अपने आदेश क्रमांक एल0आर/25/3737 दिनांक 01.09.2025 को भिजवाये गये नक्शा कुरेजात पर वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई। न्यायालय वादी का वाद तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत नक्शा - कुरेजात के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा-कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होंगे। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र.स	नाम खातेदार मय वल्लियत	खसरा नम्बर	रकबा	किश्म	लगान
1	चरणसिंह हिस्सा 1/4, विरेन्द्र सिंह हिस्सा 1/4, सुधा हिस्सा 1/4 पुत्रान सुरजकरण, मंगू देवी पत्नी स्व0 सुरजकरण हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा0देह राहिन दी सैट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 शाखा फागी	1709/1 2793/1708/1	2.6365 1.78925	बीड बीड	
	किता	02	4.42575		
2	हीरा पुत्र भूरा हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह राहिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा फागी	1709/2 2793/1708/2	2.6365 1.78925	बीड बीड	
	किता	02	0.0253		

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(सुश्रुत कुमार)टर  
सहायक, कलक्टर  
फागी जिला जयपुर